संख्या: 33/2018/529(2)/छप्पन-2018-93/16

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत पक्ष के इंगित मद से पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-947/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/18, दिनांक 12 मार्च, 2018 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षक के सुसंगत मानक मद में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रूपये 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पटिटयों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन	धनराशि (लाख रूपये में)
24-वृहत्त निर्माण कार्य	2000.00
कुल योग (रूपये बीस करोड़ मात्र)	2000.00

2- उपर्युक्त धनराशि का पुनर्विनियोग शासन के पत्र संख्या-32/2018/529/छप्पन-2018-93/16, दिनांक 24 मार्च, 2018 द्वारा करा लिया गया है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा शीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पटिटयों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-1 में इंगित मानक मद के नामे डाला जायेगा। उक्त धनराशि पूंजीगत लेखा शीर्षक की 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र से पुर्नविनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-267/दस-2018, दिनांक 24 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0:33/2018/529(3)/छप्पन-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- उपमहालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।

7- नियोजन अनुभाग-4

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।